

राजस्थान पैरा मेडिकल कॉसिल, जयपुर

(G-1 किसान भवन, लाल कोठी, जयपुर)

क्रमांक: पैरा मेडि. कॉ / 2016 / ५५५६

दिनांक: १९-१२-१८

कार्यालय आदेश

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर के द्वारा सिविल रिट प्रिटीशन सं. 11460 / 2015 सुल्तान सिंह एवं बनाम राजस्थान सरकार व अन्य में निर्णय दिनांक :— 19.09.2016 के द्वारा निम्न विश्वविद्यालयों को पैरा मेडिकल डिप्लोमा देने हेतु अमान्य माना गया है।

- जीवाजी विश्वविद्यालय गवालियर मध्यप्रदेश।
- मानव भारती विश्वविद्यालय हिमाचल।

अतः राजस्थान पैरा मेडिकल कॉसिल में उक्त विश्वविद्यालय के डिप्लोमा धारियों के द्वारा पूर्व में प्रस्तुत समस्त पंजीयन आवेदनों एवं पूर्व में राजस्थान पैरा मेडिकल कॉसिल में पंजीयत डिप्लोमा धारियों के पंजीयन प्रमाण पत्रों को एतद द्वारा निरस्त किया जाता है।

रजिस्ट्रर
रजिस्ट्रर

क्रमांक: पैरा मेडि. कॉ / 2016 / ५५५८

दिनांक: १९-१२-१८

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही प्रेषित है:—

- विशिष्ट सहायक माननीय मंत्री महोदय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान सरकार।
- निजी सचिव, माननीय प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग शासन सचिवालय जयपुर।
- सयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-३), शासन सचिवालय जयपुर।
- अध्यक्ष, महोदय राजस्थान पैरा मेडिकल कॉसिल जयपुर।
- अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाए जयपुर।
- रजिस्ट्रर संबंधित विश्वविद्यालय।
- सम्बन्धित पैरा मेडिकोज।
- प्रभारी सर्वर रूम, राजस्थान पैरा मेडिकल कॉसिल जयपुर।
- रक्षित पत्रावली।

रजिस्ट्रर
रजिस्ट्रर